The scheme of District Industries Centres has become an important constituent of the pools of implementing the Industrial Policy of the Government. 346 DICs have since been sanctioned while the DICs in the remaining districts in the country are likely to be sanctioned shortly. This programme is likely to continue during the sixth plan. Efforts are also being made to complete recruitment of staff to man the various posts sanctioned in the DICs. Special efforts are being made to promote development of small, cottage and village industries in the North Eastern region of the country for which a special Standing Committee of the All India Small Scale Industries Board has been constituted. The Standing Committee had held its first meeting in Shillong in May 1979 and the next meeting is scheduled to be held during the second week of August 1979.

जिला उद्योग केन्द्रों की उपयोगिता

545. **डा० रामजी सिंह** क्या: उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने जिला उद्योग केन्द्रों की उपयोगिता के बारे में संदेह प्रकट किया है।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : जी नहीं। जिला उद्योग केन्द्रों की उपयोगिता के बारे में योजना आयोग ने कोई संदेह प्रकट नहीं किया है।

पुलिस कर्मियों द्वारा संघ (एसोसियेशन) की स्थापना

546. **डा० राम जी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुलिस कर्मियों द्वारा अपना संघ (एसोसियेशन) स्थापित करने के अधिकार को मान्यता देती है और क्या सरकार का विचार पुलिस कर्मियों को हड़ताल करने का अधिकार भी देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) पुलिस-कर्मियों को पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) अधिनियम 1966 के उपबंधों के अन्तर्गत संघ बनाने का अधिकार दे दिया गया है बशर्ते कि संबंधित सरकार इस की अनुमति दे।

6 जून, 1979 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें यह सहमति हुई कि निम्नलिखित मार्ग दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राज्यों द्वारा संघों को मान्यता दी जानी चाहिए।—

1. सदस्यता केवल सेवारत पुलिस कर्मियों तक सीमित होगी। बाहर का कोई व्यक्ति, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो अथवा नहीं, सदस्यता अथवा संघ के पदाधिकारी के रूप में कार्य करने अथवा किसी सलाहकार या अन्य क्षमता से इससे सम्बद्ध होने का पात्र नहीं होगा।

2. सदस्यों को हड़ताल करने, अथवा अपनी सेवाएं उपलब्ध न कराने अथवा किसी प्रकार से अपने कर्तव्यों के पालन में विलम्ब करने का अधिकार नहीं होगा।

3. संघ अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आन्दोलन अथवा किसी प्रकार के बल प्रयोग का सहारा नहीं लेगा।

4. संघ कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे बल की कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़े अथवा इसके अनुशासन को क्षति पहुंचे।

5. संघ पूर्ण रूप से गैर-राजनैतिक होगा और किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से सम्बद्ध नहीं होगा।

Exhibitions for Handloom Development at Calcutta and Madras

547. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether recently exhibitions were organised by the Office of the Commissioner for Handloom Development, Government of India at Calcutta and Madras;

(b) if so, the details of the sale of handloom fabrics at these exhibitions in terms of total value of sales; and

(c) what further steps are being taken to organise such exhibitions in the country and abroad?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Yes, Sir. A National Handloom Expo was organised during February-March, 1979 at Calcutta by the Office of the Development Commissioner for Handlooms in collaboration with the Government of West Bengal. The Development Commissioner for Handlooms also participated in the All India Handloom Exhibition, Madras during April-May, 1979.